

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान सं०-३७ से द्वितीय किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पीएफ-I/2011-961, दिनांक 21.11.2011 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1390/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 08 सितम्बर, 2012 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-मिर्जापुर की 536 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के 33 आवासों की ०१ परियोजना, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1643/69-1-12-13(बजट)/2009, दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 द्वारा की जा चुकी है, के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-३७ से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-६ में अकित केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रु 56,57,000.00 (रु ५६,५७,०००.००) स्थानीय स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-2928/69-1-09-13(बजट)/2009, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद/ परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि अवस्था सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)।
1	2	3	4	5	6
1.	मिर्जापुर/ मिर्जापुर	536	2071.41	33	56.57
	योग				56.57

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उंपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुभव्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व धारणा के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि कोषागार से आँहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियोजनाओं का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ को आदेश के प्रति के प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

6. स्वीकृत धनराशि' कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०५० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्यय) अनु०-२ के शासनादेश संख्या-बी-२-२९८/दस-२०१२-२४४/२०११, दिनांक २०.०३.२०१२ के प्रस्तर-३/४ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निवेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०५० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-१८१३/६९-१-०७-१४(१०२)/०७, दिनांक ०६ अक्टूबर, २००७ एवं शासनादेश संख्या-१४४७/६९-१-१०-१४(१०२)/०७, दिनांक २२ जून, २०१० के अनुरूप हैं एवं आगामन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित ढूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।

2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में अनुदान संख्या-३७ के अंतर्गत लेखा शीर्षक "४२१७-शहरी विकास एवं पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-६०-अन्य शहरी विकास योजनायें-०५१-निर्माण-०३-इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.८०/रा.२०-के.+रा.)-३५-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- १६५३ (१)/६९-१-१२-१३(बजट)/२००९, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निवेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मिर्जापुर।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१ को केन्द्रांश प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-५९(६)/पी०एफ०-५/२०११-९६१, दिनांक २१.११.२०११ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त (आय-व्यय) अनु०-२/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८
6. नियोजन अनु०-४/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8✓ सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निवेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजंट समन्वयक।

आज्ञा से,

(आरण्पी० सिंह)
उपसचिव।